

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परैल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.5.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मीना देवी पति-राजीव रंजन शुक्ला ग्राम-खजुरीया पो०-दामोदरपुर, थाना-मलही जिला-पूर्वी चम्पारण केसफाइलनं०-सीआर/13308	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	प्रीती राय पति-मनोज कुमार ग्राम-न्यु भीखाचक पो०-जी०पी०ओ०, थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना केसफाइलनं०-सीआर/13271	कैंसर रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	नीलम देवी पति-स्व० रामचन्द्र सिंह ग्राम+पो०-छतौनी थाना-तरीयानी जिला-शिवहर केसफाइलनं०-सीआर/13612	कैंसर रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
4	रंधीर कुमार शाही पिता-राम शोवीत शाही ग्राम-पो०-शाही मीनापुर थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर केसफाइलनं०-सीआर/10620	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	मो० अनवारूल हक पिता-स्व० मो० खलील ग्राम-खजांची हाट थाना-सहायक खजांची पो०+जिला-पूर्णिआ केसफाइलनं०-सीएन/26874	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।

②

6	राजेश कुमार पिता-रामाधार पासवान ग्राम-बसन बीगहा पो0-उसरी थाना-करपी जिला-अरवल केसफाइलनं0-सीआर/13933	कैंसर रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,10,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,10,000/- ( छः लाख दस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 684257 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683, खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....684257 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 5-6-18

ज्ञापांक 987(14)  
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री सुरेश कुमार शर्मा, मा० मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग / संबंधित मरीज/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/18  
निदेशक प्रमुख  
(5/6/18)

सं० सं० 14 / एम 11-2/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.5.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सोनु कुमार पिता-नरेश राय ग्राम-पो०-हरपुर बेलवा थाना-महुआ जिला-वैशाली यू०एचआइडी-103029166	हृदय रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
2	प्रतीमा देवी पति- चन्द्रचुड़ सिंह ग्राम+पो०-चन्दा डीह थाना-धोरैया, जिला-बांका सी०भीनं०-96837	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
3	विद्यानन्द कुमार पिता-स्व० राज बल्लभ साह ग्राम-कंचनपुर धनुषी पो०-घटारो थाना-करताहा जिला-वैशाली सी०भीनं०-5167/2018	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
4	अजीत कुमार पिता-शम्भु नाथ सिंह ग्राम-राजोही टोला पोस्ट-जितौरा थाना-पीरो जिला-भोजपुर, आरा सी०टी०भीएसनं०-94824	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,40,000/-

७

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,40,000/-( पांच लाख चालीस हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~684255~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~684255~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

991(14)

पटना, दिनांक 5-6-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री मनीष कुमार, मा० विधायक धौरेया / श्री अवधेश सिंह, मा० स० वि० स० हाजीपुर / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख